रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072024-255693 CG-DL-E-24072024-255693

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383] No. 383]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2024/आषाढ 28, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2024/ASHADHA 28, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2024

सा.का.िन. 420(अ).—िनम्निलिखित मसौदा अधिसूचना जिसे केंद्र सरकार वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम 1982 में संशोधन करने के लिए जारी करने का प्रस्ताव करती है, जनता और अन्य हितधारकों, जिनके इससे की प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसके अलावा, इसके द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त अधिसूचना को केंद्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिनों की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा;

मसौदा अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति निर्धारित अविध के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को डाक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल पते: mishra.vp@gov.in या prasoon.tripathi76@gov.in पर भेज कर ऐसा सकता है।

सा.का.िन. (अ) - वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981का 14) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम, 1982 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:

4405 GI/2024 (1)

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: -
 - (1) इन नियमों को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएँ: -
- (1) नियम 2 में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
- "(कक)" "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 39क के तहत नियुक्त/अधिसूचित किसी अधिकारी से है।
- (इ.च) "प्रस्तुतकर्ता अधिकारी" से अभिप्राय **परिशिष्ट-ख** के अनुसार अधिकारियों (या) उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों से है जो अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर अधिनियम के प्रावधानों के गैर-अनुपालन (या) उल्लंघन का संज्ञान लेते हैं तथा मामले पर कार्रवाई शुरू करते हैं और उसे संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।"
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किये गये किन्तु अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम और उक्त नियमों में, जैसा भी मामला हो, दिया गया है।
- 3. अध्याय VII और नियम 17 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय और नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

अध्याय 8

नियम 18. न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति

- (1) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पर्यावरण विभाग का प्रभारी सचिव (या) राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी, जो राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे के स्तर का न हो, संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए *पदेन* न्यायनिर्णायक अधिकारी होगा।
- (2) केंद्र सरकार (i) केंद्रीय स्तर पर न्यायनिर्णायक अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे न हो, तथा (ii) किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में या तो स्वयं द्वारा अथवा संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के लिखित अनुरोध पर एक से अधिक न्यायनिर्णायक अधिकारी, जो राज्य सरकार के सचिव के स्तर से नीचे न हो, नियुक्त कर सकती है।
- (3) न्यायनिर्णायक अधिकारी को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जो भी स्थिति हो, द्वारा अपेक्षित कार्मिक सहायता, कार्यालय स्थान और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

नियम 19: मामलों का संज्ञान और उन पर कार्रवाई

- (1) कोई भी न्यायनिर्णायक अधिकारी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों या निदेशों के किसी भी गैर-अनुपालन या उल्लंघन का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक कि ऐसा मामला प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ, या तो स्वयं अपने प्रस्ताव से या किसी अभ्यावेदन की प्राप्ति पर शुरू नहीं किया जाता है।
- (2) उल्लंघन का संज्ञान लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारी अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में मामले को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष, उसमें उल्लिखित क्षेत्राधिकार के अनुसार, प्रस्तुत करेंगे। अधिकारियों की सूची परिशिष्ट -ख में दी गई है।

(3) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियम 37(1) के अंतर्गत मामले को न्यायनिर्णायक अधिकारी को अग्रेषित करने से पहले, उचित तत्परता बरतते हुए उस पर कार्यवाही करेगा, ताकि उन सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को रिकार्ड में लाया जा सके, जिन्हें जुर्माना लगाने के लिए ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि उस मामले पर न्यायनिर्णयन आवश्यक है।

नियम 20: न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच का तरीका

- (1) किसी मामले की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर, न्यायनिर्णायक अधिकारी संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ-साथ उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध गैर-अनुपालन या उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, उसके विरुद्ध मामले के विवरण में गैर-अनुपालन या उल्लंघन की प्रकृति को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हुए, ऐसे प्रारूप में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, नोटिस जारी करेगा, और ऐसा व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, निर्दिष्ट तिथि को, जो नोटिस जारी किए जाने की तारीख से 15 दिनों से कम नहीं होगी और 30 दिनों से अधिक नहीं होगी, उपस्थित हो सकता है।
- (2) नोटिस में निर्दिष्ट तारीख को, वह व्यक्ति या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
- (3) उप-नियम (2) के अधीन, यदि व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि आरोपों को स्वीकार करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी अपने आदेश में प्रतिवादी की ऐसी स्वीकारोक्ति के साथ-साथ लगाए गए जुर्माने की मात्रा को ऐसे प्रारूप में बताएगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, और आदेश की एक प्रति संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ-साथ उस व्यक्ति को भी भेजेगा जिसने मामला दर्ज कराया है, यदि लागू हो।
- (4) उप-नियम (3) के अंतर्गत न आने वाले मामलों में, न्यायनिर्णायक अधिकारी जांच के लिए तारीख नियत करेगा तथा मामले के प्रस्तुतीकरण के लिए संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को इसकी सूचना देगा।
- (5) निर्धारित तिथि को, न्यायनिर्णायक अधिकारी उस व्यक्ति को ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा, जिन्हें वह जांच के लिए प्रासंगिक समझे।
- (6) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (5) के अधीन अपेक्षित न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष पर्याप्त कारण के बिना उपस्थित होने में असफल रहता है या इंकार करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच की कार्यवाही कर सकेगा।
- (7) ऐसी जांच करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाने और उपस्थिति कराने की शक्ति होगी, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है।

स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास सिविल न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्दिष्ट है:

- (क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसे उपस्थित कराना तथा शपथ पर उसकी जांच करना;
- (ख) दस्तावेजों या अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की खोज और उनकी प्रस्तुति की आवश्यकता; और
- (ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।
- (8) संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा मामले के प्रस्तुतीकरण, उस व्यक्ति द्वारा अपने बचाव में दी गई दलील और ऐसी जानकारी के यथावश्यक अभिलेखीकरण पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी या तो आरोप को खारिज कर देगा या ऐसा अन्य आदेश देगा जो वह उचित समझे।

- (9) न्यायनिर्णायक अधिकारी के सभी आदेश वाचनात्मक आदेश होंगे, भले ही ऐसे आदेश द्वारा जुर्माना लगाया गया हो या नहीं।
- (10) न्यायनिर्णायक अधिकारी उपनियम (4) के अधीन नियत तारीख से तीन माह के भीतर प्रत्येक मामले का न्यायनिर्णयन पूरा करेगा, जिसे पर्याप्त कारण होने पर तीन माह तक बढ़ाया जा सकता है।
- (11) यदि नियम 19 के उपनियम (1) के अधीन प्राप्त मामले की विषय-वस्तु, मामले की प्राप्ति की तारीख को राष्ट्रीय हरित अधिकरण या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी अन्य न्यायालय के समक्ष पहले से ही विचाराधीन है, तो इस नियम के अधीन कार्यवाही न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा समानांतर रूप से आरंभ की जाएगी तथा नियम 23 में यथानिर्दिष्ट आदेश पारित किया जाएगा, जब तक कि ऐसी कार्यवाही पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण या किसी अन्य न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से रोक न लगा दी गई हो।

नियम 21 मामलों और कार्यवाहियों का स्थानांतरण

- (1) यदि मामला ऐसे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के समक्ष लाया जाता है, जिसे नियम 19 के उपनियम (3) के अनुसार उस पर विचार करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, तो वह उस मामले को ऐसे मामले की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर, ऐसे विश्वास के कारणों सहित, ऐसे प्रारूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को स्थानांतरित कर देगा।
- (2) यदि नियम 20 के अधीन जांच करने पर, अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर न्यायनिर्णायक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि मामला ऐसा है जिसपर किसी अन्य न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, विचार किया जाना चाहिए तो वह मामले को मामले की प्रति और कार्यवाही के अभिलेख के साथ, ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, ऐसे अधिकारी को स्थानांतरित कर देगा।
- (3) न्यायनिर्णायक अधिकारी, जिसे ऐसा मामला स्थानांतरित किया गया है, अपने विवेकानुसार, सम्पूर्ण मामले की सुनवाई प्रारम्भ से पुनः कर सकता है।
- (4) यदि कार्यवाही के दौरान यह पाया जाता है कि किसी कार्यवाही की विषय-वस्तु पर पहले ही निर्णय हो चुका है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही को सरसरी तौर पर खारिज कर देगा।

नियम 22. नोटिस को जारी किए जाने का तरीका:

किसी व्यक्ति को जारी प्रत्येक नोटिस निम्नलिखित तरीके से उस तक पहुंचाया जाएगा, अर्थात्:

- ं उस व्यक्ति को पावती सिहत पंजीकृत डाक द्वारा उसके निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान के पते पर, जहां उसने लाभ हेतु व्यवसाय या व्यक्तिगत कार्य किया था अथवा अंतिम बार किया था, पर भेजा जाएगा; या
- यदि उपलब्ध हो तो व्यक्ति के पंजीकृत ईमेल पर भेजा जाएगा;
- iii जहां इसे खंड (क) या जहां भी लागू हो, (ख) के तहत भेजा नहीं जा सकता है, ऐसे प्रत्येक नोटिस को उस परिसर के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य विशिष्ट भाग पर चिपका दिया जाएगा जिसमें वह व्यक्ति रहता है या जिसमें अंतिम बार निवास किया था, या व्यवसाय या व्यक्तिगत रूप से काम किया था या अंतिम बार लाभ के लिए काम किया था और इसकी लिखित रिपोर्ट के साथ नोटिस की जियो-टैग की छिवयों के साथ संलग्न की जाएंगी।

नियम 23. न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश -

(1) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारूप में दिनांकित और

हस्ताक्षरित किया जाएगा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी अपने द्वारा पारित आदेश की एक प्रति चूककर्ता व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार, संबंधित विनियामक प्राधिकरण, मामला दर्ज कराने वाले व्यक्ति तथा किसी अन्य व्यक्ति को भेजेगा, जिसे न्यायनिर्णायक अधिकारी उचित समझे।

(3) इस नियम के अंतर्गत पारित कोई भी आदेश नियम 20 के उपनियम (11) के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी कार्यवाही के परिणाम के अधीन होगा।

नियम 24. न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील:

- (1) इस अधिनियम के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश (आदेशों) के विरुद्ध सभी अपीलें, इस अधिनियम की धारा 39ख के अनुसार राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के तहत स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को की जाएंगी।
- (2) यदि मामला दर्ज करने वाला व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट है, तो वह भी, जहां तक यह व्यवहार्य हो, इस अधिनियम की धारा 39ख के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

नियम 25. जुर्माने की राशि निर्धारित करते समय विचार किए जाने वाले कारक

- 1. न्यायनिर्णायक अधिकारी, धारा 39क के अंतर्गत जुर्माने की मात्रा का न्यायनिर्णायक करते समय अधिनियम की धारा 39क में उल्लिखित कारकों के अतिरिक्त सभी या निम्नलिखित किन्हीं कारकों पर भी समुचित ध्यान देगा, यथा:
- क. परियोजना के संचालन का स्थान
- ख. परियोजना का आकार-बड़ा/मध्यम/छोटा
- ग. उद्योग की श्रेणी
- घ. अवज्ञा/उल्लंघन का प्रकार जैसे:
 - i. पर्यावरण मंजूरी के बिना काम करना
 - ii. पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और उत्सर्जन मानकों का अनुपालन न करना
 - iii अधिनियम के अंतर्गत जारी किसी भी निर्देश का अनुपालन न करना।
 - iv सीएक्यूएस अधिनियम के तहत जारी किसी भी निर्देश का पालन न करना।
 - v. पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन
 - vi. आदेशों/निर्देशों की किसी प्रकार की अवज्ञा/उल्लंघन/गैर-अनुपालन
- ड. मानक से विचलन/उल्लंघन की मात्रा
- च. स्वास्थ्य पर होने वाले संभावित प्रभाव/नुकसान
- छ. उल्लंघन या गैर-अनुपालन से प्राप्त अनुचित लाभ/फायदे
- ज. उल्लंघन या गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप अर्जित अनुपातहीन लाभ या अनुचित लाभ की राशि, जहां कहीं भी गणना की जा सके;

- झ. उल्लंघन या गैर-अनुपालन को दोहराने की प्रकृति;
- ञ. कोई अन्य कारक जिसे न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रासंगिक माना जाए।
- (2) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत लगाया गया जुर्माना/अतिरिक्त जुर्माना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 17 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 39 के अधीन राहत या क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के दायित्व के अतिरिक्त होगा।
- (3) उपधारा (2) के अधीन उल्लिखित मामलों के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाया गया जुर्माना ऐसे जुर्माने या क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगा, न कि उसके स्थान पर होगा।

नियम 26. न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाए गई शास्ति/अतिरिक्त शास्ति का भुगतान करने में विफलता :

- क. इस अधिनियम की धारा 38क के तहत लगाई गई शास्ति का भुगतान 90 दिनों के भीतर करने में विफल रहने के मामले में, ऐसे व्यक्ति को कारावास, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, जो शास्ति की राशि के दोगुने तक हो सकता है, या दोनों से दंडित होगा। न्यायनिर्णायक अधिकारी, संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को उपर्युक्त 90 दिनों के बीत जाने के बाद 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला न्यायालय में व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देगा। संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी न्यायनिर्णायक अधिकारी से निर्देश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला न्यायालय में उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।
- ख. इस अधिनियम की धारा 37, 38 और 39 के तहत अधिरोपित शास्ति का भुगतान 90 दिनों के भीतर करने में विफलता के मामले में, न्यायनिर्णायक अधिकारी अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित करेगा। इस अधिनियम की धारा 37, 38 और 39 के तहत अधिरोपित अतिरिक्त शास्ति का भुगतान 90 दिनों के भीतर करने में विफल रहने के मामले में, ऐसे व्यक्ति/कंपनी को कारावास, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, जो शास्ति की राशि के दोगुने तक हो सकता है, या दोनों से दंडित होगा। न्यायनिर्णायक अधिकारी, संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को उपर्युक्त 90 दिनों के बीत जाने के बाद 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला न्यायालय में उक्त व्यक्ति/कंपनी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देगा। संबंधित जिला न्यायालय में उक्त व्यक्ति/कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

नियम 27. पर्यावरण संरक्षण निधि में जमा की जाने वाली राशि

- (क) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1982 के अंतर्गत लगाया गया कोई भी जुर्माना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 16 के अंतर्गत बनाए गए पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा किया जाएगा।
- (ख) उपर्युक्त रूप से अर्जित निधि का उपयोग और प्रबंधन, यथासंशोधित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।
- (ग) इस निधि का अधिरोपण, संग्रहण एवं उपयोग, पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम 17(2) के अंतर्गत विकसित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अंतर्स्थापित जाएगा।
- 4. फॉर्म XI के पश्चात् निम्नलिखित फॉर्म अंतर्स्थापित किए जाएंगे:

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7

प्रारूप X: वायु अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन न करने संबंधी शिकायत (या) उल्लंघन का प्रारूप (नियम 19 देखें)

भाग क

वायु अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन न करने संबंधी शिकायत (या) उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण

- 1. अनुपालन न करने संबंधी शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम (स्पष्ट अक्षरों में):
- 2. पहचान प्रमाण प्रस्तृत किया जाना:

नोट: निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज़ पहचान के वैध प्रमाण के रूप में माना जाएगा:

ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और मास्क्ड आधार कार्ड।

- 3. आयु
- 4. लिंग
- 5. राष्ट्रीयता

नोट: यदि अनुपालन न करने संबंधी शिकायत दर्ज कराने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, तो पहचान प्रमाण के रूप में केवल पासपोर्ट की प्रति ही स्वीकार की जाएगी।

6. स्थायी पता

मकान/संपत्ति संख्या:
स्थानीय गांव:
जिला:
शहर:
राज्य:
देश:
पिन कोड/पोस्टल या जोनल कोड:
7. पत्राचार पता
मकान/संपत्ति संख्या:
स्थानीय गांव:
जिला:
शहर:
राज्य-

देश:
पिन कोड/पोस्टल या जोनल कोड:
8. व्यवसाय/पदनाम
9. कार्यालय का पता
10. टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर:
11. ईमेल पता:
12. व्यक्ति/कंपनी/सरकारी विभाग का विवरण, जिसके विरूद्ध अनुपालन न करने संबंधी शिकायत दर्ज की गई हो:
13. अनुपालन न किए जाने के प्रस्तुतीकरण का तरीका
- व्यक्तिगत रूप से
- डाक के द्वारा
- ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से
14. अधिनियम, नियमों, आदेशों और दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधान जिनके उल्लंघन का आरोप लगाया गया है:
2 0 C

15. अनुपालन न करने संबंधी विवरण :

संलग्नक :

क्र. सं.	दस्तावेज़	क्या संलग्न है (हां/नहीं)
1.	पहचान का प्रमाण	
2.	विधिवत नोटरीकृत शपथपत्र (जैसा कि भाग ख में दर्शाया गया है)	
3.	सहायक दस्तावेज़ (यदि कोई हो)	

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिसने न करने संबंधी रिपोर्ट अनुपालन दर्ज की है/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान :

तारीख:

L	- (-)1					
		भाग ख				
		वचनबंध				
मैं			ायु		वर्ष,	पुत्र
		निवासी			, शपथ	द्वारा
सत्यनि	ष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा व	करता हूँ कि:				
1. f	के मैं अपनी ओर से यह अनुपालन न व	करने संबंधी रिपोर्ट दा	खिल कर रहा हूं			
	या					
7	पह कि मैं यह अनुपालन न करने संब	बंधी रिपोर्ट निकाय/बं	ोर्ड/निगम/प्राधिक	रण/ कंपनी/सोसाइर्ट	.ो/ट्रस्ट/व्यत्ति	यों के
संघ/गैर	र-सरकारी संगठन/सीमित देयता भागी	दारी (इसका नाम औ	र पंजीकरण संख्य	ा, यदि कोई हो, दें)	की ओर से द	ाखिल
कर र	हा हूं, जिनका कार्यालय (संगठन	का संपर्क पता/ई-	मेल/फोन/फैक्स	इ ें) पर है और य	ाह कि मैं	इसके
दिनांक		के प्राधिकार द्व	ारा इस अनुपालन	न करने संबंधी रि	पोर्ट पर हस	ताक्षर
करने अ	गैर इसे तैयार करने के लिए अधिकृत हृ	इं।				
2.	यह कि मैंने यथा-संशोधित वायु (प्र	ादूषण निवारण एवं ि	नेयंत्रण) नियम, ´	1982 के प्रावधानों ^ह	के अंतर्गत व	र्तमान
अनुपार	यन न करने संबंधी रिपोर्ट दायर की है।					
3.	यह कि प्रपत्र के भाग-क में उल्लिखि	•	संबंधी विवरण मे	री सर्वोत्तम जानका	री के अनुसार	र सत्य
	ा मैंने सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न व	• `				
4.	मैं यह उल्लेख करता हूँ कि इस अन्	पुपालन न करने संबंध	ो रिपोर्ट को दाखि	ाल करने से पहले मै	नि अपनी स	र्वोत्तम
जानका	ारी, योग्यता और क्षमता के	अनुसार सूचना अं	ौर सहायक स	ाक्ष्य एकत्रित क	र लिए है	जो
	के	विरुद्ध अनुपालन न व	रने संबंधी रिपोर्ट	के समर्थन में प्रासंवि	गेक हैं और मैं	मैं आगे
पुष्टि क	रता हूँ कि मैंने इस अनुपालन न करने	संबंधी रिपोर्ट में कोई	डेटा/सामग्री/सूचन	ा नहीं छिपाई है ।		
इस दि	न को			पर सत्यनिष्ठा से पुर्ा	ष्टे की गई।	

शपथकर्ता

प्रपत्र X: नोटिस नियम 20(1) देखें भाग क प्रतिवादी को नोटिस

सेवा में:
प्रतिवादी का नाम :
पता:
सम्पर्क विवरण :
1. आपको यह सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के
साथ पठित के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट
पंजीकृत की गई है, जिसकी एक प्रति इस नोटिस के साथ संलग्न है।
2. आपको एतदद्वारा व्यक्तिगत रूप से, या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, को
(पता) पर न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए
निर्देशित किया जाता है।
3. कृपया यह भी ध्यान दें कि उपर्युक्त तिथि को आपके उपस्थित न होने की स्थिति में मामले की सुनवाई और निर्णय
आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।
यह नोटिस मेरे हस्ताक्षर और मुहर के साथ, इसिदिन को जारी किया।
न्यायनिर्णायक अधिकारी

भाग ख प्रेजेंटिंग अधिकारी को नोटिस

सेवा में	
प्रेजेटिंग अधिकारी	
1. आपको यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दिनांक	के पत्र/ज्ञापन संख्या
के माध्यम से पंजीकृत और अग्रेषित अनुपालन	न करने वाली रिपोर्ट पर
ऱ्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा को को (पत	ा) पर सुनवाई की जाएगी।
2. आप (या) परिशिष्ट-ख के अनुसार अधिकृत प्रतिनिधि को अपने संबंधित क्षेत्राधिक	ार के भीतर अधिनियम के
प्रावधानों का अनुपालन न करने (या) उल्लंघन करने के संबंध में संज्ञान लेने के लिए माम	ले पर कार्यवाही के दौरान
उपस्थित होना और मामला प्रस्तुत करना अपेक्षित है।	
यह नोटिस मेरे हस्ताक्षर और मुहर के साथ, इसदिन जारी किया गया।	
16 11124 11 674141 311 367 11 413, 841	
	न्यायनिर्णायक अधिकारी

प्रपत्र XII: नियम 20(9) के तहत आदेश का प्रारूप नियम 20(9) देखें

अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट की आईडी :
दिनांकित :
प्रेजेटिंग अधिकारी :
प्रतिवादी :
1. जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, मामले में पक्षकार को दिनांक
पर न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए।
यदि प्रतिवादी प्रावधानों का अनुपालन न करना स्वीकार करता है, तो निम्नलिखित पैराग्राफ 2 को शामिल किया जाएगा:
2. नियम 20 के उप-नियम (9) के अंतर्गत, प्रतिवादी ने उसके विरुद्ध दर्ज अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट शिकायत
को स्वीकार किया है, और इस प्रकार उस पर जुर्माना लगाया जाता है, जिसे उसके द्वारा कानून के तहत निर्धारित समय सीमा के अनुसार जमा किया जाएगा।
 पक्षकारों को सुनने तथा प्रस्तुत दस्तावेजों और अन्य सभी साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात निम्नलिखित
आदेश पारित किया जाता है:
यदि लागू हो:
4. उपर्युक्त कारणों से, प्रतिवादी पर जुर्माना लगाया जाता है, जिसे उसके द्वारा कानून के
तहत निर्धारित समय सीमा के अनुसार जमा किया जाएगा।
4. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निर्धारित जुर्माना या अतिरिक्त जुर्माना अदा
करने में विफल रहने की स्थिति में प्रतिवादी अधिनियम की धारा 45क के प्रावधानों के तहत आगे के अभियोजन के लिए
उत्तरदायी होगा।
5. अनुपालन न करने संबंधी शिकायत का निपटान उपर्युक्त शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
यह नोटिस मेरे हस्ताक्षर और मुहर के साथ इसदिन को जारी किया गया।
न्यायनिर्णायक अधिकारी

प्रपत्र XIII प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा गैर-अनुपालन के हस्तांतरण का प्रारूप नियम 21 (1) देखें

सेवा में प्रेजेटिंग अधिकारी (जिसे अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट को हस्तांतरित किया जाना है)

अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट की आईडी :	
दिनांकित:	
प्रतिवादी :	
1. कृपया को अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक	_ को प्राप्त अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट संलग्न है।
2. अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट का अवलोकन करने पर	: यह पाया गया है कि अनुपालन न करने संबंधी मामला उपरोक्त
प्रेजेंटिंग अधिकारी के विनियामक क्षेत्राधिकार में आता है।	
3. अतः अनुरोध है कि इस अनुपालन न करने संबंधी	रिपोर्ट को पंजीकृत किया जाए तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई
की जाए।	

संलग्न..

- 1. अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट की प्रतिलिपि
- 2. आवश्यक दस्तावेज (जहां भी लागू हो)

प्रेजेटिंग अधिकारी का अधिकृत प्रतिनिधि

(नाम और पता)

(हस्ताक्षरित, दिनांकित और मुहर लगी हुई)

न्यायनिर्णायक अधिकारी

फॉर्म XIV न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा कार्यवाही रिपोर्ट के हस्तांतरण का प्रारूप नियम 21 (2) देखें

$\overline{}$		٦.
T	ਕਾ	П

न्यायनिर्णायक अधिकारी (केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) (जिन्हें कार्यवाही रिपोर्ट हस्तांतरित की जानी है)

अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट की आईडी :
दिनांकित :
प्रतिवादी :
1. ऊपर बताए गए अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट को को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष
प्रस्तुत किया गया था, और इस पर निर्णय लिया जा रहा था।
2. कार्यवाही के दौरान यह पाया गया है कि अनुपालन न करने संबंधी विषय आपके अधिकार क्षेत्र में आता है।
3. उपर्युक्त के मद्देनजर, मामले से संबंधित सभी दस्तावेज और कार्यवाही के रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि विधिवत
हस्तांतरित की जा रही है।
4. अनुरोध है कि इस मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाए।
संलग्न
1. अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट की प्रतिलिपि
2. कार्यवाही के रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि
् (जहां भी लागू हो)
यह मेरे हस्ताक्षर और मुहर के साथ, इसिदिन को जारी किया गया।

फॉर्मेटXV निधि में शास्ति के भगतान करने का प्रारूप

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का नियम 10ठ देखें

- 1. जमाकर्ता का नाम (बड़े अक्षरों में):
- 2. प्रस्तुत किए गए पहचान का प्रमाण:

नोट: निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज पहचान के वैध प्रमाण के रूप में माना जाएगा: डाइविंग लाइसेंस, केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र और मास्क्ड आधार कार्ड।

- 3. आयु
- 4. लिंग
- 5. राष्ट्रीयता

नोट: यदि अनुपालन न करने संबंधी शिकायत दर्ज कराने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, तो पहचान के प्रमाण के रूप में केवल पासपोर्ट की प्रति ही स्वीकार की जाएगी।

6. स्थायी पता मकान/संपत्ति संख्या : _____ मुहल्ला गांव : _____ जिला : _____ शहर : पिन कोड/पोस्टल या जोनल कोड : 7. पत्राचार पता मकान/संपत्ति संख्या : _____ मुहल्ला गांव : जिला : _____ शहर :_____ राज्य: देश: पिन कोड/पोस्टल या जोनल कोड : _____ 8. व्यवसाय/पदनाम

- 9. कार्यालय का पता
- 10. टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर :

11. ईमेल पता :			
12. भुगतान करने का कारण	Т		
निर्णायक अधिकारी का³	गदेश (यदि हां, तो अनुपालन न क	ज्रने संबंधी विवरण दें)	
अन्य			
13. जमा की गई राशि (शब्	दों और अंकों में) :		
14. जमाकर्ता का बैंक विवर	ण :		
 15. बैंक विवरण जिसमें राा	शे जमा की गई :		
	ा भी संलग्न करें) :		
	:		
18. जमा की गई राशि में श	ामिल अतिरिक्त जुर्माना (यदि को	ई हो) :	
प्रतिलिपि:			
1. निधि प्रशासक			
2. संबंधित प्रभाग, पर्यावरण	ा, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रा	ालय	
3. संबंधित निर्णायक अधिक	गरी (जहां भी लागू हो)		
	सत्याप		
मैं	उपर्युक्त नामित जमाक	र्का एतद्वारा सत्यापित करता	हूँ कि इस प्रपत्र की विषय
सामग्री मेरे द्वारा विधिवत १	नरी गई है और मेरी जानकारी के	अनुसार सत्य और सही है।	
इस के _	दिन को _	में सत्यापि	ोत।

शपथकर्ता

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 17

प्रपत्र XVI खातों के वार्षिक विवरण के लिए प्ररूप

नियम 17 देखें

31 मार्च 20.... तक की स्थिति के अनुसार पर्यावरण संरक्षण निधि के खातों का वार्षिक विवरण

(राशि रूपए में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वित्तीय वर्ष	पिछला वित्तीय वर्ष
1.	वर्ष के आरंभ में निधियों का अंत शेष		
2.	निधि में वृद्धि क. वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का		
	14) के अंतर्गत लगाई गई शास्ति ख. निधि से किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज या अन्य आय		
	ग. ऐसे स्रोतों से कोई अन्य राशि, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। कुल (1+2)		
3.	निधियों का संवितरण		
3.	i. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र		
	ii. केंद्रीय सरकार		
	कुल (i+ii)		
4.	क. मौजूदा पर्यावरण निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सतत जल गुणवत्ता निगरानी केंद्रों, सतत और मैनुअल परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों और परिवेशी ध्विन निगरानी केंद्रों की स्थापना। ख. आवश्यकतानुसार नई पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं का विकास/उन्नयन। ग. औद्योगिक क्षेत्र/स्वच्छ प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुसंधान एवं विकास दस्तावेजों को तैयार करना घ. पर्यावरणीय क्षति का आकलन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)		
	तैयार करना और संदूषित स्थलों का शोधन ड. एसईआईएए/एसईएसी/सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की क्षमता निर्माण और सुदृढ़ीकरण च. संविदा कर्मचारियों को वेतन और अन्य परिलब्धियों का भुगतान छ. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सक्षम प्रणालियों का विकास ज. कानून मंचों द्वारा निर्देशित अध्ययन संचालित करना झ. इको-क्लबों के माध्यम से जागरूकता सृजन से संबंधित परियोजनाएं		
	ज. लेखा परीक्षकों, परामर्शियों और अन्य पेशेवर सेवाओं के भुगतान सहित निधियों के प्रबंधन से संबंधित प्रशासनिक व्यय ट. पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी से संबंधित नवीन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजनाएं ठ. कोई अन्य उद्देश्य जिसे शासी निकाय द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रासंगिक माना जा सकता है		
5	केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियों का उपयोग		

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वित्तीय	पिछला वित्तीय
क्र. सं.	क. मौजूदा पर्यावरण निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सतत जल गुणवत्ता निगरानी केंद्रो, सतत और मैनुअल परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रो और परिवेशी ध्विन निगरानी केंद्रो की स्थापना। ख. आवश्यकतानुसार नई पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं का विकास/उन्नयन। ग. औद्योगिक क्षेत्र/स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान एवं विकास दस्तावेजों को तैयार करना। घ. पर्यावरणीय क्षति का आकलन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना और संदूषित स्थलों का शोधन ण. एसईआईएए/एसईएसी/सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की क्षमता निर्माण और सुदृढीकरण च. संविदा कर्मचारियों को वेतन और अन्य परिलब्धियों का भुगतान छ. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सक्षम प्रणालियों का विकास ज. कानून मंचों द्वारा निर्देशित अध्ययन आयोजित करना झ. इको-क्लबों के माध्यम से जागरूकता सृजन से संबंधित परियोजनाएं ज. लेखा परीक्षकों, परामर्शियों और अन्य पेशेवर सेवाओं के भुगतान सहित निधियों के प्रबंधन से संबंधित प्रशासनिक व्यय ट. पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी से संबंधित नवीन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजनाएं ठ. कोई अन्य उद्देश्य जिसे शासी निकाय द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रासंगिक माना जा सकता है	वर्तमान वित्तीय वर्ष	पिछला वित्तीय वर्ष
	कुल (4+5)		
6.	वर्ष के अंत में उपलब्ध कुल अंत: शेष		

केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रपत्र XVII

वार्षिक रिपोर्ट का फॉर्मेट

नियम 16 देखें

31 मार्च 20तक की स्थिति के अनुसार

वार्षिक रिपोर्ट

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियम 10ट में उल्लिखित गतिविधियों का सही और पूर्ण विवरण देते हुए, गत समाप्त वर्ष के संबंध में नीचे दिए गए फॉर्मेट में वार्षिक रिपोर्ट:

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	गतिविधि	स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि	कमी का कारण
1.				
2.				
3.				
4.				

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

7. परिशिष्ट क के बाद, निम्नलिखित परिशिष्ट ख अंतर्वेशित जाएगा:

परिशिष्ट-ख प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों की सूची

क्रमांक	अधिकारी	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के सदस्य सचिव या उनके अधिकृत प्रतिनिधि।	सीएक्यूएम का क्षेत्राधिकार
2.	जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 के अन्तर्गत गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य-सचिव या उनके अधिकृत प्रतिनिधि।	सम्पूर्ण भारत
3.	जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 तथा वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 5 के अंतर्गत गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि	सम्पूर्ण राज्य
4.	संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अंतर्गत अधिसूचित समिति के सदस्य सचिव या उनके अधिकृत प्रतिनिधि	संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र
5.	जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 के अंतर्गत गठित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि	उनके संबंधित क्षेत्र के भीतर
6.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी जिन्हें जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 20, 21 और 23 के अंतर्गत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि	राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित क्षेत्र
7.	प्रदूषण नियंत्रण समिति के क्षेत्रीय अधिकारी जिन्हें जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 20, 21 और 23 के अंतर्गत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि	राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित क्षेत्र
8.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों (एसआरओ) के वैज्ञानिक 'बी', 'सी', 'डी', 'ई', 'एफ' और 'जी'।	आरओ और एसआरओ के संबंधित क्षेत्राधिकार
9.	कलेक्टर या उनके अधिकृत प्रतिनिधि	संपूर्ण राजस्व जिला
10.	उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट या उसका अधिकृत प्रतिनिधि	सम्पूर्ण उप-प्रभाग

क्रमांक	अधिकारी	क्षेत्राधिकार
11.	गंगा परियोजना निदेशालय का कोई भी क्षेत्रीय/आंचलिक अधिकारी या क्षेत्र/अंचल का प्रभारी निदेशक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि	गंगा परियोजना निदेशालय द्वारा निर्धारित आंचलिक/क्षेत्रीय क्षेत्र
12.	गंगा परियोजना निदेशालय में भारत सरकार का कोई उप सचिव, निदेशक, संयुक्त सचिव या अपर सचिव या उसका अधिकृत प्रतिनिधि	सम्पूर्ण राज्य जिसमें गंगा कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है
13.	बीज निरीक्षक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि।	बीज नियंत्रक आदेश, 1983 कं खंड 12 के अंतर्गत जारी अधिसूचना में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित क्षेत्र

[फ**ा. सं. क्यू-15012/1/2022-सीपीडब्लू**]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2024

G.S.R. 420(E).—The following draft notification which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by Section 53 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), amend the Air (Prevention and Control of Pollution) Rules 1982, is hereby published for information of the public and other stakeholders likely to be affected. Further, notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, JorBagh Road, Aliganj, New Delhi-110003 or electronically at email address: mishra.vp@gov.in or diriapolicy-moefcc@nic.in or prasoon.tripathi76@gov.in

GSR......(E) -In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Air (Prevention

and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), the Central Government, hereby makes the following rules to further amend the Air (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1982:

- Short title and commencement: -
- (1) These rules may be called the Air (Prevention and Control of Pollution) (Amendment) Rules, 2024.
- (2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions: -
- (1) In Rule 2, after clause (a) the following clause shall be inserted namely: -
- "(aa)" "adjudicating officer" means any officer appointed/notified under section 39A of the Act.
- (ef) "Presenting Officer" means the officers (or) their authorized representative as per Appendix B for taking cognizance of non-compliance (or)contravention of the provisions of the Act within their respective jurisdiction and for initiating and presenting the matter before the concerned Adjudicating Officer."
- (2). The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act and rules made thereunder shall have the same meaning as assigned to them in the Act and the said rules, as the case may be.
- 3. After Chapter VII and rule 17, the following Chapter and rules shall be inserted, namely: -

CHAPTER 8

- (1) The Secretary in- charge of the Environment Department of the State/Union Territory Administration (or) any other officer not below the rank of Secretary to the State Government nominated by the State Government and Union Territory Administration shall be the *ex-officio* Adjudicating Officer for the respective State and Union Territories.
- (2) The Central Government may appoint (i) Adjudicating Officer at Centre level not below the level of Joint Secretary to the Government of India and (ii) more than one Adjudicating Officer, not below the level of Secretary to the State Government, in a State/ Union Territory, either on its own motion or on a written request by the concerned State Government and Union Territory Administration.
- (3) The Adjudicating Officer may be provided with requisite manpower assistance, office space and technical assistance by the Central Government / State Government / Union Territory Administration as the case may be.

RULE 19. COGNIZANCE AND PROCESSING OF MATTERS

- (1) No Adjudicating Officer shall take cognizance of any non-compliance or contravention of the provisions of this Act, or the rules made or orders or directions issued thereunder, unless such matter is initiated by the Presenting Officer, along with all necessary documents, either on its own motion or on receipt of a representation.
- (2) The Officers authorized for taking cognizance of violations within their respective jurisdiction shall present the matter before the concerned Adjudicating Officer of the State/Union Territory, as per the jurisdiction mentioned therein. The list of Officers is provided in the **Appendix-B**.
- (3) The Presenting Officer shall, before forwarding the matter under Rule 19(1) to the Adjudicating Officer, process the same exercising reasonable due diligence, in order to bring on record all relevant facts and circumstances that need to be taken into account for imposing penalty, and also to ascertain if it is a matter necessary for adjudication.

RULE 20. MANNER OF INQUIRY BY ADJUDICATING OFFICER.

- (1) Within 30 days of receipt of a matter, the Adjudicating Officer shall issue notice to the concerned Presenting Officer as well as to the person against whom non-compliance or contravention is alleged, along with the particulars of the matter against him clearly specifying the nature of non-compliance or contravention, and such person may either appear personally or through an authorized representative, on such date as specified, which shall not be less than 15 days from the date of notice received and shall not exceed 30 days, in such format as may be prescribed by the Central Government.
- (2) On such date as specified in the Notice, the person or his authorized representative may admit or deny the allegations levelled against him, before the Adjudicating Officer.
- (3) Under sub-rule (2), if the person or his representative admits to the allegations, the Adjudicating Officer shall state in his order such admission of the respondent, along with the quantum of penalty imposed in such format as may be prescribed by the Central Government, and send a copy of the order to the concerned Presenting Officer as well as the person who has lodged the matter, if applicable.
- (4) In cases not covered under sub-rule (3), the Adjudicating Officer shall fix a date for inquiry and communicate the same to the concerned Presenting Officer, for presentation of the matter.
- (5) On the date fixed, the Adjudicating Officer shall give an opportunity to the person to produce documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry.
- (6) If any person fails or refuses to appear before the Adjudicating Officer as required by sub-rule (5) without sufficient cause, the Adjudicating Officer may proceed with the inquiry in the absence of such person.
- (7) While holding such inquiry, the Adjudicating Officer shall have power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the matter to give evidence or to produce any document which, in the opinion of the Adjudicating Officer, may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

Explanation: For the purposes of this sub-rule, the Adjudicating Officer shall have the following powers of a Civil Court, as specified in the Civil Procedure Code, 1908:

- (a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) Requiring the discovery and production of documents or other electronic records; and
- (c) Receiving evidence on affidavits.
- (8) On presentation of matter by the concerned Presenting Officer, defense given by the person and recording of such information as necessary, the Adjudicating Officer shall either dismiss the allegation or make such other order as it deems fit.
- (9) All orders of the Adjudicating Officer shall be speaking orders, irrespective of whether penalty has been imposed by such order or not.

- (10) The Adjudicating Officer shall complete the adjudication of every matter within three months from the date fixed under sub-rule (4), which is extendable up to three more months if sufficient cause exists.
- (11) If the subject-matter of the matter received under sub-rule (1) of Rule 19 is already in question before the National Green Tribunal or any other Court of competent jurisdiction on the date of receipt of the matter, the proceedings under this Rule shall be initiated by the Adjudicating Officer in parallel and pass order as indicated in Rule 23 unless such proceedings have been explicitly stayed by the Court.

RULE 21. TRANSFER OF MATTERS AND PROCEEDINGS

- (1) If the matter is made to a Presenting Officer which does not have jurisdiction to entertain it as per sub-rule (3) of Rule 19, it shall transfer the matter to the concerned Presenting Officer within fifteen days of the receipt of such matter, along with reasons of such belief, in such format as may be prescribed by the Central Government.
- (2) If on inquiry under Rule 20, it appears to the Adjudicating Officer at any stage of the proceedings before signing the final order, that the case is one which ought to be tried by any other Adjudicating Officer, as the case may be, he shall transfer the case to such officer along with the copy of matter and a record of proceedings, in such format as may be prescribed by the Central Government.
- (3) The Adjudicating Officer to whom such case is transferred may, in his discretion, re-hear the entire case from its inception.
- (4) If in the course of proceedings, it is found that the subject-matter of any proceedings is already adjudicated upon, the Adjudicating Officer shall summarily dismiss the proceedings.

RULE 22. MANNER OF SERVICE OF NOTICE

Every notice issued to a person shall be served on him in the following manner, namely:

- i. By sending it to the person by registered post with acknowledgement due, to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on, or last carried on, business or personally works, or last worked, for gain; or
- ii. By sending it to the registered email of the person, if available;
- iii. Where it cannot be served under clause (a) or wherever applicable, (b), every such Notice shall be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided, or carried on business or personally works or last worked for gain and the written report thereof shall be accompanied by the geo-tagged images of the notice.

RULE 23. ORDER OF THE ADJUDICATING OFFICER

- (1) Every order passed by the Adjudicating Officer shall be dated and signed by the Adjudicating Officer, in such format as may be prescribed by the Central Government.
- (2) The Adjudicating Officer shall send a copy of the order passed by him to the person in default, the Central Government, the concerned regulatory authority, the person lodging the matter and any other person which the Adjudicating Officer considers appropriate.
- (3) Any order passed under this Rule shall be subject to the outcome of any proceedings mentioned under sub-rule (11) of Rule 20.

RULE 24. APPEALS FROM THE ORDER OF THE ADJUDICATING OFFICER

- (1) All appeals from the order(s) passed by the Adjudicating Officer under the Act shall lie to the National Green Tribunal established under section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), as per Section 39B of the Act.
- (2) If the person who has lodged the matter is aggrieved by the order of the Adjudicating Officer, he shall also follow the process under Section 39B of the Act, so far as it may be practicable.

RULE 25. FACTORS TO BE CONSIDERED WHILE DETERMINING QUANTUM OF PENALTY

- 1. The Adjudicating Officer, while adjudicating any or all quantum of penalty under section 39A shall have due regard to all or any of the following factors in addition to factors stated in Section 39 A of the Act, namely:
- a. Place of operation of project
- b. Size of the Project- large/medium/small
- c. Category of industry
- d. Type of contravention/violation such as:

- i. Working without Environment Clearances
- ii. Non-compliance of Environmental safeguards and emission standards
- iii. Non-compliance of any directions issued under the Act
- iv. Non-compliances of any directions issued under CAQM Act
- v. Violation of conditions of Environment Clearances
- vi. Any other contraventions/violations/non-compliances of ordered/directions
- e. Quantum of deviation/contravention from the standard
- f. Health impacts/loss likely to be caused
- g. Undue gain/benefit derived out of contravention or non-compliance
- h. The amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention or non-compliance;
- i. The repetitive nature of the contravention or non-compliance
- j. Any other factor as may be considered by the Adjudicating Officer to be relevant for the protection of environment.
- (2) The penalty /additional penalty as imposed by the Adjudicating Officer under this Act shall be in addition to the liability to pay relief or compensation under section 39 of this Act read with section 17 of the National Green Tribunal Act, 2010.
- (3) For matters mentioned under sub-section (2), the penalty imposed by the Adjudicating Officer shall be in addition to, and not in substitution of such penalty or compensation.

RULE 26. FAILURE TO PAY PENALTY/ADDITIONAL PENALTY IMPOSED BY THE ADJUDICATING OFFICER

- a. In case of failure to pay penalty imposed under Section 38 A of the Act within 90 days, such person shall be liable for imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend to twice the amount of the penalty or with both. The Adjudicating Officer shall direct the concerned SPCB /PCC to initiate criminal proceedings against the person in the concerned District Court within 30 days after the lapse of 90 days as mentioned above. The concerned SPCB / PCC shall initiate the proceedings against the person in the concerned District Court within 30 days from the date of receipt of direction from Adjudicating Officer.
- b. In case of failure to pay penalty imposed under Section 37, 38 and 39 of the Act within 90 days, the Adjudicating Officer shall impose Additional penalty. In case of failure to pay Additional penalty imposed under section 37, 38 and 39 of the Act within ninety days, such person / company shall be liable for imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend to twice the amount of the penalty or with both. The Adjudicating Officer shall direct the concerned SPCB / PCC to initiate criminal proceedings against the person / company in the concerned District Court within 30 days after the lapse of 90 days as mentioned above. The concerned SPCB / PCC shall initiate the proceedings against the person/company in the concerned District Court within 30 days from the date of receipt of direction from Adjudicating Officer.

Rule 27 AMOUNT TO BE CREDITED IN ENVIRONMENTAL PROTECTION FUND -

- (a) Any penalty levied under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Air (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1982 shall be credited to Environment Protection Fund created under section 16 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- (b) The utilization and administration of the fund accrued as above shall be governed by the provisions of Environment (Protection) Act, 1986 and Environment (Protection) Rules, 1986, as amended.
- (d) The imposition, collection and utilization of this fund shall be done through the online portal developed under Rule 17 (2) of the Environment (Protection) Rules, 1986.

After Form XI, the following forms shall be inserted:

25 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

FORM X: FORMAT OF NON-COMPLIANCE (OR) CONTRAVENTION OF THE PROVISIONS OF THE AIR ACT

(See Rule 19)

Part A

DETAILS TO BE FURNISHED BY THE PERSON LODGING THE NON-COMPLIANCE (OR) CONTRAVENTION OF THE PROVISIONS OF THE AIR ACT

- 1. Name of the Person lodging the non-compliance (In Block Letters):
- 2. Proof of Identity Furnished:

Note: Any of the following documents will be considered as a valid proof of identity:

Driving License, Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Government/Public Sector Undertaking/Public Limited Company, Passbook with photograph issued by a Bank/Post Office, PAN Card, Smart Card issued by Registrar General of India under National Population Register, MNREGA Job Card, Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour, Pension document with photograph, Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs, and masked Aadhaar Card.

- 3. Age
- 4. Gender
- 5. Nationality

Email Address:

of the Passport will

	e: In case the person who has lodged the nor ccepted as a proof of identity	1-сопір	папсе	is not	a citize	en oi in	dia, oni	у а сору	oi tr
6.	Permanent Address								
Hou	se/Property Number:								
Loca	ality Village:								
Dist	rict:								
City	:								
State	e:								
Cou	ntry:								
Pin	Code/Postal or Zonal Code:								
7.	Correspondence Address								
Hou	se/Property Number:								
Loca	ality Village:								
Dist	rict:								
City	:								
State	e:								
Cou	ntry:								
Pin	Code/Postal or Zonal Code:								
8.	Occupation/ Designation								
9.	Office Address								
10.	Telephone Number/Mobile Number:								

12. Details of Person/Company/Government Department against whom non-compliance is made:

13. Mod	e of Presentation of non-compliance		
In-Per	son		
By Pos			
•			
Online			
14. The 1	relevant provisions of Act, rules, orders and	I directions the contrave	ntion of which is alleged:
15. Partic	culars of non-compliance:		
Enclosure	S:		
S. No.	Document		Whether enclosed (Yes/No)
1.	Identity Proof		
2.	Duly Notarised Affidavit (as indic		
3.	Supporting Documents (he non-compliance/Authorized Signatory
	Signature of the f	erson who has louged t	ne non-comphance/Authorized Signatory
Place: Date:		Part B	
	UN	DERTAKING	
Ι		ged	years, S/o do here by solemnly
affirm and	declare on oath as under-	1	do here by soleming
1. T	nat I am filing this non-compliance on my o	own behalf	
society/trus registration	nat I am filing this non-compliance of st/association of persons/Non-Governments number, if any) having their office at (givernized to sign and make the state of	al Organisation/ Limited	Liability Partnership (give its name and /phone/fax of the organization) and that I
	nat I have filed the present non-complian Rules, 1982 as amended from time to time.		s of the Air (Prevention and Control of
	nat particulars of the non-compliance m, and I have enclosed all necessary docume		this Form are true to the best of my
best of m		ich are relevant in su	
in this non-	-compliance.		
Solemnly a	affirmed at	on this day	of

DEPONENT

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 27

FORM XI: NOTICE See RULE 20(1)

Part A

NOTICE TO THE RESPONDENT

To:	
Name of the Addressee:	
Address:	
Contact Details:	
TAKE NOTICE that a non-compliance is registered against you by t under the provisions of read v	
Control of Pollution) Act, 1981, a copy of which has been attached with this Notice.	(
2. You are hereby called upon to appear before the Adjudicating Officer in person representative, on at (Add	
3. Take further notice that, in default of your appearance on the day aforementions and determined in your absence.	ed, the matter will be heard
GIVEN under my hand and the seal, on this day of	
	Adjudicating Officer
Part B	
NOTICE TO THE PRESENTING OFFICER	
To The Presenting Officer	
TAKE NOTICE that the non-compliance registered and forwarded by your dated shall be heard by the state of the stat	
at (Address).	
 You (or) the authorized representative as per Appendix – B for taking cognizar contravention of the provisions of the Act within their respective jurisdiction are require and present the case. GIVEN under my hand and the seal, on this day of 	•
	Adjudicating Officer
FORM XII: FORMAT OF ORDER UNDER RULE 20 (9)	
See RULE 20 (9)	
Non-compliance ID:	
Dated:	

Presenting Officer:
Respondent:
1. That, in the matter as indicated above, the parties appeared before the Adjudicating Officer on
at
If the respondent admits to the non-compliance, the following paragraph 2 would be included:
2. Under sub-Rule (9) of Rule 20, the respondent has admitted to the non-compliance registered against him,
and as such the following penalty is imposed on him,, which shall be deposited by him
according to the timeline stipulated under law.
3. After hearing the parties and perusing documents and all other evidence as presented, the following order is
made:
If applicable:
4. For reasons as aforesaid, the following penalty is imposed on the respondent,,
which shall be deposited by him according to the timeline stipulated under law.
4. In case of failure to pay the penalty or additional penalty, as required by the Air (Prevention and Control of
Pollution) Act, 1981, the respondent shall become liable under the provisions of Section 39D of the Act for further
prosecution.
5. Non-compliance is disposed of in the aforementioned terms.
GIVEN under my hand and the seal, on this day of
Adjudicating Officer

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 29

FORM XIII FORMAT OF TRANSFER OF NON-COMPLIANCE BY PRESENTING OFFICER SEE RULE 21(1)

To	
The Pa	resenting Officer
(to wl	hom non-compliance is to be transferred)
Non-c	compliance ID:
Dated	:
Respo	ondent:
1.	Please find attached non-compliance received by the undersigned on
2.	On perusal of the non-compliance, it is found that the non-compliance falls within the regulatory jurisdiction
of the	Presenting Officer addressed above.
3.	It is, therefore, requested to register this non-compliance, and take any further action that may be necessary.
•	py of the non-compliance

Authorized Representative of the Presenting Officer

(Name and Address)

(Signed, dated and stamped)

FORM XIV

FORMAT OF TRANSFER OF PROCEEDINGS BY ADJUDICATING OFFICER SEE RULE 21(2)

To The A	Adjudicating Officer (Centre/State/UT) (to whom proceedings are to be transferred)
Non-	compliance ID:
Dated	l:
Resp	ondent:
1.	The non-compliance as indicated above was brought before the undersigned on, and
was t	being adjudicated.
2.	During the course of proceedings, it has been found that the subject-matter of the non-compliance falls within
your	jurisdiction.
3.	In view of the above, all case documents and a certified copy of record of proceedings are being duly
transf	ferred.
4.	It is requested that further necessary action may be taken in the matter.
2. Ce	. opy of the non-compliance ortified Copy of record of proceedings rever applicable)
GIVE	EN under my hand and the seal, on this day of
	Adjudicating Officer

FORM XV

FORMAT FOR PAYMENT OF PENALTY TO THE FUND

SEE RULE 10L OF THE EP, ACT

- 1. Name of the Depositor (In Block Letters):
- 2. Proof of Identity Furnished:

Note: Any of the following documents will be considered as a valid proof of identity:

Driving License, Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Government/Public Sector Undertaking/Public Limited Company, Passbook with photograph issued by a Bank/Post Office, PAN Card, Smart Card issued by Registrar General of India under National Population Register, MNREGA Job Card, Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour, Pension document with photograph, Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs, and masked Aadhaar Card.

- 3. Age
- 4. Gender
- 5. Nationality

Note: In case the person who has lodged the non-compliance is not a citizen of India, only a copy of the Passport will be accepted as a proof of identity.

6. Permanent Address
House/Property Number:
Locality Village:
District:
City:
State:
Country:
Pin Code/Postal or Zonal Code:
7. Correspondence Address
House/Property Number:
Locality Village:
District:
City:
State:
Country:
Pin Code/Postal or Zonal Code:
8. Occupation/Designation
9. Office Address
10. Telephone Number/Mobile Number:
11. Email Address:

12. Reason for making payment

	Order of the Adjudicating Officer (If yes, give details of the non-compliance)
	Others
13.	Amount Submitted (in words and numbers):
14.	Bank Details of the depositor:
15.	Bank Details in which amount submitted:
16.	Transaction ID (Also attach proof):
17.	Delay (if any):
18.	Additional Penalty (if any) included in the amount submitted:
Copy to	:
1. Fund	Administrator
2. Conce	erned Division, MoEF&CC
3. Conce	erned Adjudicating Officer (wherever applicable)
	VERIFICATION
I duly fill	the above named depositor do hereby verify that the contents of this Form have been ed by me, and are true and correct to the best of my knowledge.
Verified	at on this day of
	DEPONENT

FORM XVI FORMAT FOR ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS

See RULE 17

Annual Statement of Accounts of Environment Protection Fund as on 31st March 20....

(Amount in Rs.)

S. No.	Particulars	Current	Previous Financial
		Financial Year	Year
1.	Opening Balance of funds at the Beginning of the Year		
2.	Additions to the Fund		
	a. Penalty imposed under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)		
	b. Interest or other income received out of investments made from the Fund		
	c. Any other amount from such sources, as may be prescribed.		
	TOTAL (1+2)		
3.	Disbursal of Funds		
	i. State Government/ UTs		
	ii. Central Government		

S. No.	Particulars	Current Financial Year	Previous Financial Year
TOTAL (i+ii)			
4. Utilization of Funds by State Government/UTs			
	a. Installation of Continuous Water Quality Monitoring Stations, Continuous & Manual Ambient Air Quality Monitoring Stations and Ambient Noise Monitoring Stations for strengthening of existing environmental monitoring network.		
	b. Development of New/Upgradation of Environmental Laboratories, as per requirement.		
	c. Preparation of Research and Development documents on Industrial Sectors/Clean Technology		
	d. Assessment of Environmental Damages, preparation of Detailed Project Reports (DPRs) and Remediation of Contaminated Sites		
	e. Capacity Building and Strengthening of SEIAAs/ SEACs / CPCB / SPCBs/PCCs/Urban Local Bodies (ULBs)		
	f. Payment of Salaries and other emoluments to the Contractual staff.		
	g. Development of Information Technology (IT) enabled systems.		
	h. Conducted studies as directed by forums of law		
	i. Projects related to awareness generation including through eco-clubs		
	j. Administrative expenses relating to management of funds including payment of auditors, consultants and other professional services		
	k. Innovative Technology demonstration projects pertaining to Clean Technology for environment protection.		
	1. Any other purpose as may be considered by the Governing body to be relevant for the protection of environment.		
5.	Utilization of Funds by Central Government		
	a. Installation of Continuous Water Quality Monitoring Stations, Continuous & Manual Ambient Air Quality Monitoring Stations and Ambient Noise Monitoring Stations for strengthening of existing environmental monitoring network.		
	b. Development of New/ Upgradation of Environmental Laboratories, as per requirement.		
	c. Preparation of Research and Development documents on Industrial Sectors / Clean Technology		
	d. Assessment of Environmental Damages, preparation of Detailed Project Reports (DPRs) and Remediation of Contaminated Sites		
	e. Capacity Building and Strengthening of SEIAAs /		

S. No.	Particulars		Current Financial Year	Previous Financial Year
	SEACs / CPCB / SP Bodies (ULBs)	PCBs / PCCs / Urban Local		
	f. Payment of Salaries a Contractual staff.	and other emoluments to the		
	g. Development of Infension	Formation Technology (IT)		
	h. Conducted studies as o	lirected by forums of law		
	i. Projects related to aw through eco-clubs	areness generation including		
		es relating to management of nent of auditors, consultants services		
		gy demonstration projects Fechnology for environment		
		s may be considered by the relevant for the protection of		
	TOTAL (4	l+5)		
6.	Total Closing balance avail	lable at the end of the year		

Authorized Signatory of the Central Govt/State Govt./UT Administration

FORM XVII

FORMAT FOR ANNUAL REPORT

SEE RULE 16

Annual Report as on 31st March 20....

The annual report in respect of the year last ended giving a true and full account of the activities as mentioned at Rule 10K of the EP, Act during the previous financial year in the format below:

(Amount in Rs.)

S. No.	Activity	Amount sanctioned	Amount spent	Reason for shortfall
5.				
6.				
7.				
8.				

Authorized Signatory of the Central Govt/State Govt./UT Administration

7. After the Appendix A, the following Appendix B shall be inserted:

APPENDIX-B LIST OF PRESENTING OFFICERS

Sr.	Officer	Jurisdiction
No.		
(1)	(2)	(3)
1.	The Member Secretary of the Commission for Air Quality Management (CAQM) in National Capital Region and Adjoining Areas or his authorized representative.	Jurisdiction of CAQM
2.	The Member-Secretary of the Central Pollution Control Board constituted under section 3 of the Water (Presentation and Control of pollution) Act, 1974 (6 of 174) or his authorized representative.	Whole of India
3.	The Member-Secretary of the State Pollution Control Board constituted under section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) or a State Pollution Control Board constituted under section 5 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) or his authorized representative.	Whole of State
4.	The Member Secretary of the Committee notified under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) in respect of Union Territories or his authorized representative.	Whole of Union Territory
5.	Regional Director of the Central Pollution Control Board constituted under section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution), Act, 1974 (6 of 1974) or his authorized representative.	Within their respective Region.
6.	Regional Officers of the State Pollution Control Board who have been delegated powers under section 20, 21 and 23 of theWater (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 or his authorized representative	Area as laid down by the State Board
7.	Regional Officers of the Pollution Control Committee who have been delegated powers under section 20, 21 and 23 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and Air (Prevention and Control of	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 37

	Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) or his authorized representative.	
8.	Scientist 'B', 'C' 'D', 'E' 'F' and 'G', of Regional Offices (ROs) and Sub Regional Offices (SROs) of the MoEFF&CC	Respective jurisdictions of the ROs and SROs
9.	Collector or his authorized representative.	Whole of Revenue District
10.	Sub-Divisional Magistrate or his authorized representative.	Whole of Sub-Division.
11.		Zonal/Regional area as laid down by the Ganga Project Directorate
12.	Any Deputy Secretary, Director, Joint Secretary or Additional Secretary to the Government of India in the Ganga Project Directorate or his authorized representative.	
13.		Area (s) as laid down by the respective State Government. In the Notification issued under Clause 12 of the Seed controller Order, 1983

[F. No. Q-15012/1/2022-CPW] NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.